प्रेस नोट

दिनाँक 15.09.2025

जनपद – संतकबीरनगर

सड़क सुरक्षा हेतु "नो हेलमेट-नो फ्यूल" अभियान के संबंध में थाना दुधारा पर बैठक आयोजित

पुलिस अधीक्षक ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजय सिंह* के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 15.09.2025 को थाना दुधारा पर पेट्रोल पंप मालिकों / मैनेजरों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन द्वारा संचालित "नो हेलमेट-नो फ्यूल" अभियान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया कि बिना हेलमेट पहने किसी भी दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल न दिया जाए।

पुलिस की अपील :

- दोपहिया वाहन चलाते समय अच्छी गुणवत्ता का हेलमेट अवश्य पहनें।
- याद रखें – सड़क सुरक्षा ही जीवन रक्षा है।
- शराब पीकर वाहन न चलाये।
- "ऑपरेशन त्रिनेत्र" अभियान के तहत पेट्रोल पंपों पर अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाकर सड़क मार्ग को कवर करने हेतु प्रेरित किया गया।

संदेश:

- नो हेलमेट – नो फ्यूल
- पहले हेलमेट, फिर फ्यूल
- हेलमेट है कूल, तभी मिलेगा फ्यूल

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 6000 द्वारा दो बाइक का आपस में टक्कर होने के दुर्घटना में घायल में घायल 04 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल*–**
पीआरवी 6000 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत खाजो से कालर द्वारा दो बाइक का आपस में टक्कर होने के दुर्घटना में घायल 04 व्यक्तियों (01- राजेश पुत्र श्रीकान्त, 02-रामानुज पुत्र रामकेश पता बासगांव जनपद गोरखपुर, 03- राजू पुत्र रामलाल, 04- बृजेश यादव पुत्र लाहौरी पता.खजूरटीकरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर, उक्त घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।
पीआरवी स्टाफ- हे0का0 गोरखनाथ यादव, का0 सन्तोष यादव, हो0चा0 रामवीर चौधरी ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 366 वाहनों से 3,79,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 15.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 366 वाहनों से 3,79,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त को 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 452/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता विकास गोस्वामी पुत्र स्व0 दुर्गा प्रसाद निवासी धनघटा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को कटार मिश्र कुआनो नदी पुल के पास के पास से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ आज दिनांक 15.09.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, मु0आ0 रमेश मिश्रा, का0 सलमान अंसारी, का0 सत्यम सिंह ।

□*पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में तीन सवारी चलने वाले वाहनों के विरुद्ध चलाया गया "आपरेशन तिगड़ी" व बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर चलने वालों के विरुद्ध चलाया गया "आपरेशन पटाखा" अभियान*

□*संतकबीरनगर पुलिस द्वारा "आपरेशन तिगड़ी" व "आपरेशन पटाखा" अभियान के तहत जनपद से कुल 366 वाहनों से 3,79,500 रु0 जुर्माना वसूला गया*

□*संतकबीरनगर पुलिस द्वारा "आपरेशन ब्लैक कैट" अभियान के तहत जनपद में वाहनों से उतवायी गयी काली फिल्म*

□*संतकबीरनगर पुलिस द्वारा "आपरेशन तिगड़ी" व "आपरेशन पटाखा" अभियान से **जनपद मे मचा हडकम्प***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी यातायात ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के पर्यवेक्षण में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा यातायात सुरक्षा के दृष्टिगत आज दिनाँक 15.09.2025 को जनमानस को यातायात जागरुकता के नियमों के बारें में जागरुक करते हुए तीन सवारी चलने वाले वाहनों के विरुद्ध "आपरेशन तिगड़ी" **व बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर चलने वालों के विरुद्ध " आपरेशन पटाखा "** अभियान चलाया गया।

"आपरेशन तिगड़ी" व "आपरेशन पटाखा" अभियान के दौरान संतकबीरनगर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद से 07 वाहनों से 5000 रुपए, थाना दुधारा से 08 वाहनों से 11,500रुपए, थाना धनघटा से 08 वाहनों से 8,000रुपए, थाना महुली से 18 वाहनों से 18,500रुपए, थाना मेंहदावल से 08 वाहनों से 8,000रुपए, थाना बखिरा से 08 वाहनों से 6,000रुपए, थाना बेलहरकला से 39 वाहनों से 39,000रुपए, व संतकबीरनगर यातायात पुलिस द्वारा 270 वाहनों से 2,83,500 रुपए जुर्माना वसूला गया साथ ही वाहन चलाते समय तीन सवारी न बैठने, बिना नम्बर प्लेट लगी वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड़ से न चलाने के साथ लोगों से अपील किया गया की वे अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेल्मेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने की भी अपील की गयी तथा वाहनों में काली फिल्म प्रयोग करने वालों के विरुद्ध **"आपरेशन ब्लैक कैट"** अभियान चलाया गया।

- ***थाना धनघटा पुलिस की जाँच में झूठी निकली छिनैती की सूचना***
- ***कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग को दें सूचना***
- ***झूठी एवं फर्जी सूचना देने वाले व सहयोग करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही: एस0 पी0 संतकबीरनगर***

झूठी सूचना का विवरण-

श्री शमसूल उमार निवासी कटार मिश्र थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 15.09.2025 को रात्रि समय करीब 08.30 बजे डायल 112 पर सूचना दिया गया कि मेरी बहू जब शौच के लिए अपने घर के पीछे बने शौचालय में गई थी तभी अचानक कोई पीछे से आया और बाल पकड़ कर मुंह में मिट्टी भर कर कान से एक बाली खिच लिया व दूसरे कान का बाली वह स्वयं निकाल कर दे दिया तथा उसके गले का मंगलसूत्र जिसमें सोने का लॉकेट था खिचने के उपरान्त पैर का दोनों पायल खीच लिया और धमकी देते हुए भाग गया था।

उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*,** प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री जयप्रकाश दूबे*** व निरीक्षक अपराध ***श्री रामेश्वर यादव*** द्वारा मय पुलिसबल के साथ घटनास्थल पर पहुँचकर घटनास्थल निरीक्षण कर शिकायतकर्ता व उनके परिवारजन से पूछताछ करने पर घटना संदिग्ध प्रतीत हुयी। जिसपर उक्त सभी लोगो से कढ़ाई से पूछताछ किया गया तो शिकायतकर्ता की बहू द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में हो रही चोरी की अफवाहों के कारण यह झूठी सूचना दी गयी थी। शिकायतकर्ता की बहू के पास से सभी जेवरात पुलिसबल के सामने प्रस्तुत किया गया तथा उनके द्वारा लिखित रूप से कानूनी कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध मे निवेदन किया गया। जिसके आधार पर दोषी शिकायतकर्ता व शिकायतकर्ता की बहू से लिखित माफीनामा लिया गया।

झूठी सूचना देना न केवल सामाजिक व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि इससे सार्वजनिक संसाधनों का अनावश्यक दुरुपयोग होता है एवं जनमानस में भय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः सभी नागरिकों से आग्रह है कि कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित कार्यालय को सूचित करें। झूठी, भ्रामक अथवा निराधार शिकायत / सूचना देने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सजा छह माह से दो वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकते हैं।

पुलिस विभाग जनसामान्य को आश्वस्त करता है कि शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृतसंकल्पित है। किसी भी असत्य सूचना को कतई प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।